

प्रकरण क्रमांक 23 / 13 विद्युत

17.05.2018

परिवादी द्वारा श्री ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता
उपस्थित।

आरोपी रामनारायण अनुपस्थित।

जारी वारंट अदम्य तामील पेश। तामील कुलिंदा हरी
सिंह बघैल उपस्थित। उसका फरारी कथन लिया गया। साक्षी
द्वारा अपने कथन में बताया कि उसके द्वारा आरोपी को
गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किये गये किंतु आरोपी के
फरार हो जाने से वह नहीं मिला और वह काफी समय से
फरार है और निकट भविष्य में उसके मिलने की कोई
संभावना नहीं है।

अतः साक्षी के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी
को फरार घोषित किया जाता है। आरोपी का स्थाई गिरफ्तारी
वारंट जारी हो।

प्रकरण का सार अंकित पंजी कर दाखिल
अभिलेखागार हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)